

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 30 दिसम्बर, 2023

विषय: मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषदों को धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-तक0सेल/393/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-25.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/405/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.10.2023, पत्र सं0-तक0सेल/482/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-28.11.2023, पत्र सं0-तक0सेल/409/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-30.11.2023 एवं पत्र सं0-तक0सेल/511/28-मु0मं0न0सू0यो0/डी0पी0आर0/2023-24, दिनांक-13.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त पत्र में उल्लिखित निकायों हेतु मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चिकृत/सीमा विस्तारित निकायों को वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत विस्तारित नगर पालिका परिषद में अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा मूलभूत आवश्यक विकास/सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के संगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत अवशेष धनराशि से विस्तारित नगर पालिका परिषदों की संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराने हेतु कुल धनराशि ₹0 409.592 लाख (₹0 चार करोड़ नौ लाख उनसठ हजार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 404.820 लाख (₹0 चार करोड़ चार लाख बयासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें /प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/ 125/ 2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित निकायों को व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।
4. कार्यों हेतु निकाय स्तर पर गठित बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

- I/459672/2023 7. कार्यो की मात्राओं के निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निकाय का होगा।
8. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।
9. प्रश्रगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।
10. कार्यो की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निगम की होगी तथा निगम द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
11. प्रश्रगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
12. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।
13. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।
14. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
15. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।
16. सम्बन्धित निकाय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्रगत कार्यो हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
17. कार्यो के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यदिश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
18. संबंधित निकाय द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत निर्गत की जा रही धनराशि में निर्णयोपरान्त एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि सम्मिलित है। जिन निकायों द्वारा प्रत्येक कार्य की लागत में तीन प्रतिशत, आई०ई०सी० एवं ए०एण्ड०ओ०ई० मद की धनराशि शामिल की गयी है, उन निकायों को केवल एक प्रतिशत ए०एण्ड०ओ०ई० मद में व्यय करने की अनुमति है। शेष धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
19. निर्गत की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निकायों को उपलब्ध करायी जाये।
20. निर्गत की जा रही धनराशि से निकायों द्वारा 03 माह के अन्दर कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं०-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यो की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

I/459672/2023

21. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कार्यों की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स अपलोड किये जायेंगे।

22. प्रस्तावित कार्यों के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये तथा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश दिनांक-08.08.2022 के अन्तर्गत गठित समिति के माध्यम से सत्यापन भी करा लिया जाये।


23. समस्त निकाय द्वारा यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में नवसृजित/विस्तारित नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में ही निर्माण कार्य किया जाय। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, संबंधित निकाय/अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय की होगी।

24. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,04,82,000 (रुपये चार करोड़ चार लाख बयासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920300 उच्चिकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,



(संजय कुमार तिवारी)
30-12-23
अनु सचिव।

**संख्या- ५।७) /382मु0मं0न0सू0यो0/नौ-2-2023, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
- (4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (5) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (6) संबंधित मण्डलायुक्त।
- (7) संबंधित जिलाधिकारी।
- (8) संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत द्वारा निदेशक।
- (9) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।

I/459672/2023

- (10) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (11) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- (12) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- (13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(संजय कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

I/459672/2023

शासनादेश संख्या-4//382म0मं0न0सु0यो0-9-2-2023 कम्प्यटर सं0-1775683, दिनांक-30.12.2023
का अनुलग्नक

1- विस्तारित नगर पालिका परिषद्, मारहरा, जनपद-एटा

(धनराशि लाख में)			
क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य जितेन्द्र सिंह के मकान से वीरपाल सिंह के मकान तक मोहल्ला लल्लू खेडा वार्ड संख्या २३ (सीमा विस्तारित क्षेत्र)	24.441	19.669
योग		24.441	19.669

(रू0 उन्नीस लाख छियासठ हजार नौ सौ मात्र)

नोट: - उक्त निकाय को इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गयी कुल धनराशि के सापेक्ष सम्पूर्ण आवंटित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि रू0 4.772 लाख उक्त निकाय द्वारा स्वयं के स्त्रोत से वहन की जायेगी।

2- विस्तारित नगर पालिका परिषद्, रॉबर्टसगंज, जनपद-सोनभद्र

(धनराशि लाख में)			
क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड- 2 छपका लोढी महाल प्राथमिक विद्यालय लोढी द्वितीय से पालिटेक्निक बाउण्ड्री की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	27.82	27.82
2	वार्ड नं0-2 में श्रीकान्त के घर (वी0एस0 रोड से बुद्धीसेन के घर तक सी0सी0 रोड, पटरी पर इण्टरलाकिंग व कवर्ड नाली का कार्य।	27.68	27.68
3	वार्ड-3 बिचपई महाल में राम स्नेही विश्वकर्मा से सर्वेश पाठक होते हुए रमाकान्त मास्टर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	18.64	18.64
4	वार्ड-3 बिचपई महाल में रामवृक्ष के घर से संजय के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	8.26	8.26

I/459672/2023

योग

82.40

82.40

(रू० बयासी लाख चालीस हज़ार मात्र)

3- विस्तारित नगर पालिका परिषद, करनैलगंज जनपद-गोण्डा

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	अम्बेडकर नगर वार्ड नं० 05 ग्राम गज्जू पुरवा में पदारथ के मकान से नवल के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य ।	1.029	1.029
2	अम्बेडकर नगर वार्ड नं० 05 ग्राम गज्जू पुरवा में सांवलदास के मकान से रामू के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.879	4.879
3	अम्बेडकर नगर वार्ड नं० 05 ग्राम गज्जू पुरवा शंकर जी मन्दिर के पीछे से राम चन्दर मे मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	3.78	3.78
4	अम्बेडकर नगर वार्ड नं० 05 ग्राम झून्नागढ में डामर रोड से बाल किशुन के मकान तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य ।	14.442	14.442
5	अम्बेडकर नगर वार्ड नं० 05 ग्राम झून्नागढ में भगौती के मकान से फकीरे के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य ।	11.648	11.648
योग		35.78	35.78
		(रू० पैंतीस लाख अठहत्तर हज़ार मात्र)	

4-विस्तारित नगर पालिका परिषद, जायस, जनपद-अमेठी

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	नगर पालिका परिषद जायस के वार्ड संख्या 5 में मुख्तार के मकान से	9.98	9.98

I/459672/2023

	श्यामलाल के मकान तक सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण कार्य।		
2	नगर पालिका परिषद जायस वार्ड संख्या 12 के अन्तर्गत रामसुरेश के मकान से रामसुमेर के मकान तक सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	11.16	11.16
3	नगर पालिका परिषद जायस वार्ड संख्या 12 पकरी के अन्तर्गत एम0आर0एफ0 सेन्टर की पुलिया से भगौती प्रसाद घर तक सी0सी0 रोड़ निर्माण का कार्य।	11.43	11.43
	1% (ए0 एण्ड ओ0ई0)	0.326	0.326
	योग	32.896	32.896
		(रू0 बत्तीस लाख नवासी हज़ार छह सौ मात्र)	

5-विस्तारित नगर पालिका परिषद, खुर्जा, जनपद-बुलन्दशहर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड नं0 14 मौ0 मुरारी नगर में पहासू रोड पर शिकारपुर तिराहे से संतोष कुमार के मकान तक एक ओर आर0 सी0 सी0 नाला निर्माण कार्य।	34.512	34.512
2	वार्ड नं0 15 मो0 मुरारी नगर चैचन्दा में मुड़ाखेड़ा रोड से संजय सैनी के मकान तक पी0 सी0 द्वारा लेपन का कार्य।	20.703	20.703
	योग	55.215	55.215
		(रू0 पचपन लाख इक्कीस हज़ार पाँच सौ मात्र)	

I/459672/2023

6-विस्तारित नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर, जनपद- मुजफ्फरनगर

(धनराशि लाख में)

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	निर्गत की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	वार्ड नं0 17 हरिपुरम स्थित सतीश धीमान से प्रमोद के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	17.646	17.646
2	वार्ड नं0 17 हरिपुरम स्थित मुनेश के मकान से बोबी के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	10.897	10.897
3	वार्ड नं0 30 तुलसीनगर स्थित विनोद कुमान के मकान से राजन शर्मा के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	20.685	20.685
4	वार्ड नं0 30 तुलसीनगर स्थित श्री सुधीर से कल्लू के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	26.316	26.316
5	वार्ड नं0 28 शामली रोड स्थित खांजाहपुर में सतेन्द्र बालियान के मकान से डॉ0 सोमपाल के मकान तक एंव लिंक गलियों में आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	35.065	35.065
6	वार्ड नं0 28 शामली रोड स्थित खांजाहपुर स्थित गली नं0 23 सैनी टेडर्स से श्री सुरेश पाल के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0	28.347	28.347

I/459672/2023

	सडक निर्माण कार्य।		
7	वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित प्रिया कुच्छल के मकान से सरकारी कैन्टीन तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	11.015	11.015
8	वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित लिटिल अकैडमी से हिन्दुस्तान फैब्रिकेशन तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	6.68	6.68
9	वार्ड नं0 19 शामली रोड स्थित किसान सेवा केन्द्र से विनेश वर्मा तक एंव प्रवीण गोयल के मकान तक आर0 सी0 सी0 नाली व सी0 सी0 सडक निर्माण कार्य।	13.555	13.555
10	मुज़फ्फरनगर के Entry Point वहलना चौक पर इलेक्ट्रिक एल0 ई0 डी0 लेटर द्वारा स्वागतम गुड की नगरी मुज़फ्फरनगर लेटर बोर्ड लगाने का कार्य।	6.883	6.883
	1 % (ए0एण्डओ0ई0)	1.771	1.771
	योग	178.860	178.860
		(रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख छियासी हजार मात्र)	